



प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन
गोमती नगर लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 29/08/2023

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता की मद में धनराशि की मांग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के पत्रांक 1200/यूपीडा/08/147 दिनांक 14.08.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु कंसोसियम बैंक (पंजाब नेशनल बैंक) से लिये गये ऋण पर दिनांक 01.08.2023 से 30.09.2023 तक की अवधि हेतु देय ब्याज के लिए रु0 2128.23 लाख (रुपये इक्कीस करोड़ अट्ठाईस लाख तेईस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण और शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

(धनराशि रु0 लाख में)

कार्य का नाम	दिनांक 01.08.2023 से दिनांक 30.09.2023 तक अवधि हेतु देय ब्याज के लिए अवमुक्त धनराशि
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज का भुगतान	2128.23

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की गयी है उसी बैंक खाते में ब्याज की धनराशि जमा की जायेगी।
- (2) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanaदेश.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र /कार्य का सम्परीक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज, कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ०प्र० प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाए।

(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय जाप संख्या सं०-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/जापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 21,28,23,000 (रुपये इक्कीस करोड़ अट्ठाईस लाख तेईस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852808001800** यूपीडा द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता **मानक मद 20** सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-75-X-2023-24-दिनांक:25-8-2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शैलेन्द्र कुमार),

अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
2. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanaadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन ।
9. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
11. नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
12. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,
(शैलेन्द्र कुमार),
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।